



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 6421 /अका./वि.परि./2012

रायपुर, दिनांक : 01/02/2012

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की सोमवार, दिनांक 30.01.2012 को अपरान्ह 3:00 बजे सर सी.व्ही. रमन हॉल, विज्ञान भवन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में बैठक सम्पन्न हुई -

बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :-

1	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2	डॉ. संतोष कुमार शर्मा	-	सदस्य
3	डॉ. (श्रीमती) रीता वेणु गोपाल	-	सदस्य
4	डॉ. (श्रीमती) ज्योति रवि तिवारी	-	सदस्य
5	डॉ. शैलेन्द्र सराफ	-	सदस्य
6	डॉ. आर.पी. दास	-	सदस्य
7	डॉ. एस.के. सिंह	-	सदस्य
8	डॉ. सुनीता झा	-	सदस्य
9	डॉ. तोयनिधि वैष्णव	-	सदस्य
10	डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता	-	सदस्य
11	डॉ. भगवन्त सिंह	-	सदस्य
12	डॉ. अब्दुल करीम	-	सदस्य
13	डॉ. अशोक कुमार उपाध्याय	-	सदस्य
14	डॉ. राकेशचंद्र अग्रवाल	-	सदस्य
15	डॉ. व्यास दुबे	-	सदस्य
16	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
17	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
18	डॉ. अमर कांत पाण्डेय	-	सदस्य
19	डॉ. गिरीश कांत पाण्डेय	-	सदस्य
20	डॉ. एल.एस. निगम	-	सदस्य
21	डॉ. (श्रीमती) अनुसूईया बघेल	-	सदस्य
22	डॉ. (श्रीमती) पुष्पलता शर्मा	-	सदस्य
23	डॉ. ए.के. गुप्ता	-	सदस्य
24	डॉ. एस.के. जाधव	-	सदस्य
25	डॉ. ए.के. पति	-	सदस्य
26	डॉ. (श्रीमती) अनिता महेश्वर	-	सदस्य
27	श्रीमती अमिता सहगल	-	सदस्य
28	डॉ. बशीर हसन	-	सदस्य
29	डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	-	सदस्य
30	डॉ. (श्रीमती) जकिया तसनीम खान	-	सदस्य
31	डॉ. रोहिणी प्रसाद	-	सदस्य
32	डॉ. बी.जी. सिंह	-	सदस्य
33	डॉ. बी. कामेश्वर राव	-	सदस्य
34	डॉ. मिताश्री मित्रा	-	सदस्य
35	डॉ. (श्रीमती) अरुणा पल्टा	-	सदस्य

1

36	डॉ. एम.पी. गुप्ता	—	सदस्य
37	डॉ. (श्रीमती) शशिकांता भारद्वाज	—	सदस्य
38	डॉ. बी.एस. चौहान	—	सदस्य
39	डॉ. (श्रीमती) प्रीति के सुरेश	—	सदस्य
40	डॉ. मनमोहन लाल सतनामी	—	सदस्य
41	श्रीमती प्रतिभा छाया क्लाडियस	—	सदस्य
42	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	—	सचिव

## कार्यवृत्त

### बैठक में निर्णय लिये गये :-

01. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 23.04.2011 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
 निर्णय : विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.04.2011 के कार्यवृत्त की संपुष्टि निम्नानुसार आंशिक संशोधन के साथ की गई –  
 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण में विषय क्रमांक 2 में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2011-12 से 'विज्ञान संकाय' के स्थान पर 'सभी संकाय' संशोधित किया गया।
02. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.05.2011, 01.06.2011, 11.07.2011, 23.07.2011, 27.07.2011, 12.08.2011, 12.10.2011, 28.11.2011, 24.12.2011 एवं 28.12.2011 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।  
 निर्णय : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.05.2011, 01.06.2011, 11.07.2011, 23.07.2011, 27.07.2011, 12.08.2011, 12.10.2011, 28.11.2011, 24.12.2011 एवं 28.12.2011 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
03. विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा CAS के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ हेतु, विद्यापरिषद् द्वारा नामों के पैनल तैयार करना।  
 निर्णय : सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा CAS (Carrier Advancement Scheme) के तहत प्रमोशन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में विद्यापरिषद् की ओर से पैनल (कम से कम 10 विशेषज्ञों के नाम) बनाकर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित संकायाध्यक्ष, अध्यक्ष अध्ययन परिषद् एवं विभागाध्यक्ष की समिति को अधिकृत किया गया जावे। समिति एक सप्ताह के अंदर विषय विशेषज्ञ की विस्तृत जानकारी के साथ पैनल विशेषज्ञ कुलपतिजी को प्रस्तुत करेंगे।  
 डॉ. भगवंत सिंह, सदस्य, विद्यापरिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारित विज्ञापन क्रमांक 3146 दिनांक 12.08.2011 के बिंदु क्रमांक 25 में संचालक, एकेडमी स्टाफ कालेज का पद Temporary उल्लेखित होने के कारण, पुनः विज्ञापन करने संबंधी प्रश्न उठाया गया। इस संबंध में निर्णय लिया गया कि विधिक सलाह लेकर आवश्यक कार्यवाही किया जाए।



## अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. विद्यापरिषद् के सभी सदस्यों को वर्ष 2011 की परीक्षा के सफल संचालन परीक्षा परिणाम एवं वर्ष 2011 में उपाधि प्राप्त छात्र-छात्राओं की जानकारी से अवगत कराया इसके साथ यह भी जानकारी दी गई कि वर्ष 2012 की वार्षिक परीक्षा 12 मार्च, 2012 से प्रारंभ होकर 11 मई, 2012 को सम्पन्न होगी। परीक्षा में कुल 1,94,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं एवं कुल 121 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं।
02. कुलपतिजी द्वारा विश्वविद्यालय को DST से Natural Centre for Natural Resources (NCNR) के अनुमोदन प्राप्त होने की जानकारी दी गई। DST ने इसके लिए 3 वर्ष हेतु 10 करोड़ की स्वीकृति दी है।
03. कुलपतिजी द्वारा सदस्यों को अवगत कराया कि 12वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल, 2012 से प्रारंभ हो रही है, अतः सभी विभागाध्यक्षों को नये पाठ्यक्रम एवं विभाग के लिए पद एवं अधोसंरचना से संबंधित प्रस्ताव, 10 फरवरी, 2012 तक भेजने हेतु निर्देशित किया गया।
04. सभी संकाय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम से परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसी के साथ प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए भी वार्षिक परीक्षा प्रणाली भी जारी है, अतः निर्णय लिया गया कि प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए सत्रीय अंक एवं प्रश्नपत्र के स्थान पर लघुशोध जमा करने के विकल्प समाप्त की जावे। तदनुसार संबंधित विषय के अध्ययन मण्डल, पाठ्यक्रम एवं अध्यादेश में आवश्यक संशोधन संबंधी कार्यवाही करे।
05. डॉ. बी.कामेश्वर राव, सदस्य, विद्यापरिषद् के द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 30.01.2012 पर निर्णय लिया गया कि प्रकरण संबंधित अध्ययन मण्डल में प्रस्तुत किया जावे।


  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 6422 /अका./वि.परि./2012  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 01/02/2012

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. शासन, शास. विज्ञान महा. परिसर, रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
3. विद्या परिषद् के समस्त सदस्यों को।
4. वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. अतिरिक्त संचालक, आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
6. समस्त विभाग प्रमुख, प्रशासनिक भवन, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
7. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
कक्षा अधिकारी (अका.)